(11)

ज्ञापांक–606 उ/ख० विविध (खाद्य प्रसं०)-12/2016 पटना, दिनांक– 20/02/2017

प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, गाँधी मैदान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भेटनरी कॉलेज, शेखपुरा, पटना–14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

संकल्प संख्या–4671 दिनांक–19.12.2014 द्वारा बिहार राज्य स्थित खादी ग्रामोद्योग संस्था/समिति के पुर्नरूद्धार योजना के अन्तर्गत रू0 44.45 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत् बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को रू0 14.83 करोड़ उपलब्ध कराया गया है। इस राशि में से बिहार स्थित खादी संस्था/समितियों को स्थिर पूँजी (Fixed Capital) की सुदृढ़ीकरण हेतु चरखा के अतिरिक्त करघा उपलब्ध कराया जाना है।

2. खादी संस्था/समितियों द्वारा करघा ऐसे संस्थाओं से क्रय किया जायेगा, जो इसका उत्पादन कर्त्ता एवं आपूर्तिकर्त्ता हों तथा जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग से सूचीबद्ध (Empanelled) हो एवं जिनका दर आयोग द्वारा निर्धारित हो। खादी समीतियों के द्वारा करघा का क्रय खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के सर्कुलर नं0–DKPM/Kh-Imple/Mfg/860/2014-15 Dated-15.07.2014 के अनुसार किया जायेगा।

3. करघा क्रय के लिए 90 (नब्बे) प्रतिशत अनुदान दी जायेगी, शेष 10 प्रतिशत खादी संस्थाओं को स्वयं वहन् करना होगा।

4. करघा की गुणवत्ता (Specification) निम्न प्रकार होगी एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होगी :–
   (i) करघा पूरा आयरन का बना हुआ हो।
   (ii) करघा पैरों से चलने वाला (पैडल ऑपरेटेड) होना चाहिए, जिसकी बुनाई की शट्ल अपने आप चलती हो।
   (iii) करघा गियर पद्धति को हो।
   (iv) करघा का अरज कम से कम 45 इंच एवं अधिक से अधिक 62 इंच का हो।
   (v) करघा का कार्य क्षमता 8 घंटे में कम से कम 10 से 20 मीटर बुनने की हो।

5. राशि का व्यय खादी पुर्नरूद्धार योजना के तहत् खादी बोर्ड को प्राप्त राशि या इसके तहत् प्राप्त होने वाली राशि से की जायेगी।

6. खादी संस्थाएँ अपने स्तर से क्रय के पूर्व इसकी गुणवत्ता एवं उपयोग से स्वयं संतुष्ट हो लेगें।

7. करघा कीमत की राशि खादी संस्था/समितियों के बैंक खाते में सीधे NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जायेगा। यह राशि क्रय के पहले 50 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा, शेष 50 प्रतिशत का भुगतान करघा क्रय एवं उसे स्थापित करने एवं भौतिक सत्यापन के बाद किया जायेगा।

8. खादी संस्था/समिति आपूर्तिकर्त्ता का नाम, पता, करघा का Specification तथा दर आदि की जानकारी बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को उपलब्ध करायेगें।

9. खादी संस्था/समितियों की जिम्मेवारी होगी कि उनके द्वारा क्रय किये गये करघा संचालन एवं तकनीकी जानकारी अपने स्तर से आपूर्तिकर्त्ता से प्राप्त करेगें।

10. आपूर्ति किये जाने वाले करघा की संख्या का निर्धारण बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उपरोक्त वर्णित संकल्प के अनुरूप किया जायेगा। 5 (पॉच) चरखा परएक करघा दिया जायेगा।

11. विदित हो कि संकल्प संख्या 4671 दिनांक 19.12.2014 में करघा एवं ड्रम दोनों जोड़कर अधिकतम दर रू0 30,000/– (तीस हजार) निर्धारित किया गया है।

प्रधान सचिव